संख्या- 273 /2023/ 3676 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर, 2023**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत सम्पदा श्रंखला के अन्तर्गत प्रदेश की लोक विधाओं तथा जनजातियों की विलुप्त हो रही परम्पराओं के संरक्षण, प्रदर्शन के अभिलेखीकरण कराए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ के पत्र संख्या- 227/उ0प्र0लो0ज0सं0स0/2023-24 दिनांक 22 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 30/2023/ 305/चार-2023 दिनांक 28 जनवरी, 2023 द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत सम्पदा श्रंखला के अन्तर्गत प्रदेश की लोक विधाओं तथा जनजातियों की विलुप्त हो रही परम्पराओं के संरक्षण, प्रदर्शन के अभिलेखीकरण कराए जाने हेतु रू0 60.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की लोक विधाओं तथा जनजातियों की विलुप्त हो रही परम्पराओं के संरक्षण, प्रदर्शन के अभिलेखीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत सम्पदा श्रंखला के अन्तर्गत प्रदेश की लोक विधाओं तथा जनजातियों की विलुप्त हो रही परम्पराओं के संरक्षण, प्रदर्शन के अभिलेखीकरण कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या- 30/2023/ 305/चार-2023 दिनांक 28 जनवरी, 2023 द्वारा निर्गत रू0 60.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि से कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1	मोनोग्राफ	रू0 2.75 लाख
2	चित्रकूट एवं वाराणसी के लकड़ी के खिलौने के मोनोग्राफ	रू0 0.70 लाख
3	06 जनजातियों पर पुस्तक सम्पदा का लेखन कार्य	रू0 5.00 लाख
4	टेराकोटा मोनोग्राफ	रू0 1.25 लाख
5	सम्पदा सीरियल के तहत आंचलिक सम्भागों से पुस्तक लेखन आदि कार्य	रू0 5.00 लाख
6	प्रयागराज की श्रृंगार की चौकियों के पिक्टोरियल बुक लेखन कार्य	रू0 0.70 लाख
7	08 विधाओं से सम्बन्धित मोनोग्राफ का लेखन कार्य	रू0 2.25 लाख
	योग	रू0 17.65 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. शासनादेश संख्या- 30/2023/ 305/चार-2023 दिनांक 28 जनवरी, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 273 /2023 / 3676 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।